मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

क्रमांक : 5487/2016/19/यो

भोपाल, दिनांक 30/09/2016

प्रति,

1. प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
भोपाल.

2. समस्त मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
भोपाल.

विषयः— लोक निर्माण विभाग की सड़कों के किनारे विद्युत लाईनों के खम्बे लगाये जाने के संबंध में ।

उपरोक्त विषय के संबंध में प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उर्जा विभाग एवं प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग की संयुक्त बैठक दिनांक 17.05.2016 को सम्पन्न हुई थी । उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण मध्यप्रदेश शासन, उर्जा विभाग द्वारा उनके पत्र दिनांक 30.06.2016 द्वारा जारी किया गया है (प्रति संलग्न)

उक्त कार्यवाही विवरण में सभी श्रेणी के मार्गो के लिए लोक निर्माण विभाग के सड़कों के किनारे विद्युत लाईन के खम्बों की न्यूनतम दूरी एवं विद्युत लाईन शिफ्टिंग के संबंध में दिशा–निर्देश दिये गये हैं । उर्जा विभाग के उक्त कार्यवाही विवरण में दिये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्नः— 1. उर्जा विभाग का पत्र दिनांक 30.06.2016
2. कार्यवाही विवरण

Prakash 30/9/2016
(चन्द्र प्रकाश अग्रवाल)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग

पृ0 क्रमांक : 5488/2016/19/यो

भोपाल, दिनांक 30/09/2016

प्रतिलिपिः—1. समस्त अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग, मण्डल कार्यालय, मध्यप्रदेश.
2. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग कार्यालय, मध्यप्रदेश.

सीटोरा

Prakash 30/9/2016
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग

440

मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 5545 /2016/तेरह

भोपाल, दिनांक 30 JUN 2016

प्रति

1. प्रबंध संचालक,
   एम.पी. पावर मैनजमेंट कंपनी लिमिटेड,
   जबलपुर।
2. प्रबंध संचालक,
   म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
   जबलपुर/भोपाल/इन्दौर।

विषयः–लोक निर्माण विभाग की सडकों के किनारे विद्युत लाईनों के खंभे लगाये जाने के संबंध में दिनांक 17.05.2016 को प्रमुख सचिव, ऊर्जा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण।

::–::

निर्देशानुसार सड़क के किनारे विद्युत लाईन के खंभे लागने के संबंध में लिए गए निर्णय की प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

29/6/16

(मुकुल धारीवाल)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

क्रमांक /2016/तेरह
प्रतिलिपि :–

भोपाल, दिनांक

1. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्मार्ण विभाग मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोशन लिमिटेड, 45–ए, अरेरा हिल्स, भोपाल।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल।

– कृपया निर्णय की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग

441

विषय:—लोक निर्माण विभाग की सड़कों के किनारे विद्युत लाईनों के खंभे लगाये जाने के संबंध में दिनांक 17.5.2016 को प्रमुख सचिव,ऊर्जा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण।

उपरोक्त विषय के संबंध में प्रमुख सचिव,ऊर्जा की अध्यक्षता में उनके मंत्रालय स्थित कक्ष में एक बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में प्रमुख सचिव,लोक निर्माण विभाग, प्रबंध संचालक, म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि.भोपाल तथा पावर मैनेजमेंट कंपनी की ओर से अतिरिक्त मुख्य महाप्रबंधक श्री राजीव केसकर, उपस्थित थे। बैठक में लोक निर्माण विभाग की सड़कों के किनारे विद्युत लाईनों के खंभों की शिफि्टंग तथा सड़कों के किनारे नये विद्युत लाईन के खंभे लगाये जाने की प्रकिया के संबंध में चर्चा की गयी । बैठक में चर्चा उपरांत लिये गये निर्णय निम्नानुसार हैं :—

(1) लोक निर्माण विभाग की सड़कों के किनारे लगे विद्युत लाईन के खंभों की शिफि्टंग की स्थिति में, विद्युत कंपनी के संबंधित कार्यपालन यंत्री द्वारा शिफि्टंग का ले—आऊट तैयार कर लोक निर्माण विभाग के संबंधित कार्यपालन यंत्री को प्रस्तुत किया जाएगा तथा दोनो विभागों के अधिकारियों की लिखित सहमति के उपरांत उक्त कार्य का निष्पादन किया जाएगा।

(2) लोक निर्माण विभाग की सड़कों के किनारे नई लाईन के निर्माण की स्थिति में सड़को से इन खंभों की न्यूनतम दूरी निम्नानुसार रहेगी :—

(1)	शहरी क्षेत्र की सड़कों के लिये —	यथासंभव दूरी
(2)	ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के लिये—	सड़क के मध्य बिन्दु से 10 मीटर
(3)	राष्ट्रीय राजमार्ग के लिये	आर ओ डब्ल्यू के सिरे (Edge) पर
(4)	राजमार्ग के लिये	आर ओ डब्ल्यू के सिरे (Edge) पर
(5)	मुख्य जिला मार्ग (एमडीआर)—	सड़क के मध्य बिन्दु से 15 मीटर

नये कार्यो के लिये निविदा में भी उपरोक्तानुसार प्रावधान सम्मिलित किये जायेंगे।

(2) ऐसे स्थानों पर जहां उक्तानुसार दूरी पर सड़कों के किनारे खंभे लगाया जाना संभव नही है, वहाँ विद्युत कंपनी के कार्यपालन यंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री आपस में चर्चा तथा निरीक्षण कर उक्त कार्य के लिये वैकल्पिक व्यवस्था समय से सुनिश्चित करेंगे, ताकि कार्य में किसी तरह का विलंब न हो।

(3) उपरोक्त निर्देशों का पालन विद्युत वितरण कंपनी तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(4) उपरोक्त निर्देशों का पालन म.प्र. राज्य सड़क प्राधिकरण तथा म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के लिए भी किया जाएगा।

(प्रमोद अग्रवाल)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन,लोक निर्माण विभाग

(आई.सी.पी.केशरी) 28/6/16
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन,ऊर्जा विभाग